संख्या : 2034 / II–2004–04(39)/04

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून ।

सिंचाई अनुभाग **देहरादून, दिनांक 04 सितम्बर, 2009**

विषयः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 3466/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दिनांक 13.8.09, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक–1 में अंकित 07 योजनाओं के रू0 525.36 लाख के आगणनों के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 506.05 लाख (रूपये पांच करोड़ छः लाख पांच हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 41(4)/PF-1/2009-149 दि0 17.07.09 के द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0 202.50 लाख एवं राज्यांश रू0 22.50 लाख, **कुल रू0 225.00 लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** तथा 39 योजनाओं के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या 49(1)/PF–1/2008–409 दिनांक 29.12.08 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश रू0 3872.80 लाख में से शेष केन्द्रांश रू0 361.55 लाख एवं राज्यांश रू0 40.17 लाख कुल रू0 401.72 लाख कुल रू0 626.72 लाख (रू0 छः करोड छब्बीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को योजनावार धनराशि का आवंटन कर शासन को सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित एवं व्यय की जायेगी।
2. योजनाओं पर व्यय भारत सरकार की ए0आईबी0पी0 की गाईड लाईन्स व राज्य सरकार के प्रवृत्त नियमों/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
3. योजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट तथा उपभोग प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) निर्धारित प्रपत्रों पर भारत सरकार के साथ–साथ शासन को भी उपलब्ध करायेंगे ।
4. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय उन्ही योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जो भारत सरकार से स्वीकृत है तथा व्यय योजना की स्वीकृत लागत तक सीमित रखा जायेगा ।

6. इस मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 05–सिंचाई विभाग की नई योजनायें, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0195–ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (90% केन्द्रीय सहायता), 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 390/XXVII(2)/2009 दिनांक 31.08.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।
संलग्न यथोपरि।

भवदीय

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्या : 2034 / II–2004–04(39)/04दिनांकित

प्रतिलिपि निमलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. सीनियर, ज्वांईट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय, 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
5. आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल ।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखड शासन ।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10. गार्ड फाईल ।

संलग्नः तथोपरि।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 2034 / ।।-2004-04(39)/04 दि0 04/9/09 का संलग्नक-1

(रू0 धनराशि लाख रू0 मे)

क्र. स.	योजना का नाम	वित्त की टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त लागत
1	2	3
1	जनपद चमोली के जोशीमठ में 1.50 किमी0 माणा नहर के निर्माण की योजन (टी0एस0पी0)	40.41
2	जनपद चमोली के जोशीमठ वि0ख0 में बम्पा नहर (टी0एस0पी0)	38.77
3	जनपद देहरादून के वि0ख0 चकराता के अन्तर्गत 19.900 किमी0 लम्बी नहर निर्माण की योजना (टी0एस0पी0)	157.60
4	ज्नपद देहरादून के वि0ख0 चकराता के अन्तर्गत ठारटा लिफ्ट सिंचाई योजना (टी0एस0पी0)	58.64
5	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रामा लिफ्ट सिंचाई योजना (एस0सी0एस0पी0)	68.66
6	जनपद उत्तराकाशी के अन्तर्गत छमरोटा लिफ्ट सिंचाई योजना (एस0सी0एस0पी0)	58.92
7	जनपद बागेश्वर के वि0ख0 बागेश्वर में अनर्सा लिफ्ट सिंचाई योजना (एस0सी0एस0र्पी0)	83.05
	योग	**506.05**

(रू0 पांच करोड़ छः लाख पांच हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव